परियोजना का नामः— जनपद देहरादून के अपर गढ़वाली कालोनी पेयजल योजना का सुदृढीकरण कार्य हेतु वन विभाग मसूरी रेंज से 0.075 हैक्टियर वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर को हस्तान्तरण।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद — देहरादून

वन भूमि की आवश्यकता— 0.075 है0

विभाग का नाम— उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर

योजना की लागत —299.42 लाख

रिपोर्ट अपर गढ़वाली कालोनी

अपर गढ़वाली कालोनी पेयजल योजना द्वारा आयुद्ध विहार, गढ़वाली कालोनी लेन0 01 से 07, मेन रोड़ गढ़वाली कालोनी, दून हिल्स कालोनी, अप्पर आदर्श कालोनी आदि क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत नलकूप खनन कार्य कराकर पूर्व में स्थित पाईप लाईनों को नलकूप से सीधे जोड़कर गढ़वाली कालोनी क्षेत्र में जलापूर्ति करायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 1000 किल0 क्षमता के जलाशय का निर्माण कर व 300 मि0मी0 व्यास की 530 मी. एवं 250 मि0मी0 व्यास की 80 मी0 एम0एस0ई0आर0डब्लू0 पाईप लाईन बिछाकर जलाशय के माध्यम से पेयजल से बंचित क्षेत्रों के को सुचारू जलापूर्ति करायी जानी है। जलाशय निर्माण के लिए 0.075 है0 बन भूमि की आवश्यकता है।अतः उपरोक्त भूमि की क्षतिपूर्ति लागत उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर द्वारा बन विभाग को भुगतान की जायेगी, पेयजल योजना के अन्तर्गत जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, नगर निगम पार्षद वाड़ संख्य 63, जल संस्स्थान एंव बन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण आख्या के क्रम में वन भूमि क्षतिपूर्ति प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(अधिशासी अभियन्ता)
उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून